संख्या: 29/2020/3825/ए0सी0एस0ए0जी0-कैम्प/2020

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि विभाग कैम्प कार्यालय लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त, 2020

विषय: कृषक हित में उर्वरक वितरण की पारदर्शी व प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि उर्वरकों का वितरण डी0बी0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से की जा रही है। वर्षा सामान्य और समय से पहले होने एवं खरीफ का आच्छादन लक्ष्य से ज्यादा होने के कारण यूरिया की मॉग कृषकों में अधिक बढ गयी है।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर से जारी शासनादेश संख्या-15/2020/ 1702/12-2-2020-एफ.42/2001, दिनांक 22 जून, 2020 जिसमें कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था, उर्वरकों का वितरण शत प्रतिशत पी0ओ0एस0 के माध्यम से करने तथा बिक्री उपरान्त कृषकों को कैशमेमों/पर्ची दिये जाने विषयक है, शासनादेश संख्या-20/2020/1371/12-2-2020-एफ.42/2001, दिनांक 28 जुलाई, 2020, जो यूरिया उर्वरक का कृत्रिम अभाव पैदा कर अवांछनीय तत्वों/व्यवसाईयों द्वारा जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने विषयक है, तथा शासनादेश संख्या-28/2020/1723/12-2-2020, दिनांक 21 अगस्त, 2020 जो यूरिया उर्वरक का कृत्रिम अभाव पैदा करके अवांछनीय तत्वों/व्यवसाईयों द्वारा जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये थे।

यह सुनिश्चित करना है कि कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुकूल उर्वरक निर्धारित दरों पर प्राप्त हो एवं जमाखोरी/कालाबाजारी/अधिक दामों पर बिक्री पर पूरी तरह अंकुश लग सके। तत्क्रम में उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराते हुए निम्नलिखित कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) डी0बी0टी0 पोर्टल पर उर्वरकों की बिक्री हेतु एक्नॉलेजमेंट की व्यवस्था की गयी है। उर्वरक निर्माताओं से थोक विक्रेता और थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता तक उर्वरकों की एक्नॉलेजमेंट की व्यवस्था रियल टाइम की जाये जिससे कृषकों को उर्वरक वितरण के साथ ही साथ डी0बी0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत वास्तविक क्रेता का नाम दर्ज हो सके। भौतिक रूप से जैसे उर्वरक का मुवमेंट होता है वैसे ही ऑनलाइन प्रणाली को भी अद्यावधिक करना सुनिश्चित किया जाये और इसमें विलम्ब करने वाले थोक/फुटकर विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

(2) कृषकों के आधार संख्या के आधार पर ही वितरण सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी विशेष परिस्थिति में अन्य पहचान पत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसका विवरण जैसे कृषक का नाम, पिता का नाम, मो0 नम्बर पोर्टल पर सही-सही अंकित किया जाये।

(3) उर्वरक की रेक/अन्य वाहनों से पहुॅचने पर यह सुनिश्चित की जाये कि उनका वितरण जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ के आच्छादन एवं वास्तविक मॉग के अनुसार ही वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाये जिससे सभी जगह उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाये। यह कार्यवाही सहकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए की जाये और जिलाधिकारी इसकी स्वयं समीक्षा करते हुए उर्वरकों का वितरण तद्नुसार सुनिश्चित करायें।

(4) जिन-जिन क्षेत्रों में उर्वरकों की मांग अधिक है कृषकों को बिक्री केन्द्रों पर ज्यादा संख्या में आने की आशंका है, वहॉ उर्वरक का वितरण कृषि/राजस्व/विकास विभाग के कर्मचारियों की देखरेख में तथा अधिकारियों के पर्यवेक्षण में सुनिश्चित कराया जाये जिससे पारदर्शिता से कृषकों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार वितरण हों एवं ऑनलाईन प्रणाली को भी साथ ही साथ अद्यावधिक किया जाता रहे।

(5) जैसा कि पूर्व में भी निर्देशित किया गया है, कृषकों को उनकी जोत/भूमि के आधार पर ही नियंत्रित तरीके से उर्वरकों का वितरण हो जिससे अधिक से अधिक कृषकों की मॉगों को पूरा किया जाये।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्धारित दरों से अधिक किसी भी दशा में बिक्री नहीं होगी और ऐसा कृत्य करने वालों पर कडी कार्यवाही होगी। जैसा कि पूर्व में ही निर्देशित किया गया है, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उर्वरकों के साथ जबरन अन्य उत्पादों की टैगिंग कर के बिक्री नहीं होगी।

(7) जिला प्रशासन के नेतृत्व में निरीक्षण/छापों का क्रम अनवरत चलता रहेगा और प्रवर्तन की कार्यवाही विभिन्न अधिनियम के अधीन जारी रहेगी। प्रवर्तन के कार्य में कोई शिथिलता नहीं आये।

(8) अनियमितताएं पाए जाने पर जिन प्रकरणों में निरस्तीकरण/ निलम्बन/ अद्यावधिक मुकदमें दर्ज किए गए हैं, उनकी भी समीक्षा की जाती रहे जिससे अनियमितता में लिप्त पाए गए लोगों को समुचित दण्ड मिल सके।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अत: आप से अपेक्षा है कि उपरोक्त बिन्दुओं सहित पूर्व में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

( डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 29/2020/3825/ए0सी0एस0ए0जी-कैम्प/2020, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि- 1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

( डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।